"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2015—— आश्विन 22, शक 1937

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

अधिसूचना में संशोधन

क्रमांक एफ 9-22/2013/9. —— छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना" के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना" नियम, 2013 है ।
   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उद्देश्य** :- इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के **बस्तर एवं सरगुजा संभाग के किशोर (बालक/बालिकाओं)** को उनके बौद्धिक विकास हेतु उनके जीवनकाल में एक बार, उनके माता/पिता/अभिभावक के साथ, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों के लिए सामूहिक यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है ।

3. **परिभाषाएं** :-
   (1) किशोर से तात्पर्य- ऐसा व्यक्ति जिसने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को 11 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 17 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।
   (2) स्थानीय निवासी से तात्पर्य- ऐसा व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता हो ।
   (3) वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवक- ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार के किसी विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, परिषद्, विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय एवं पंचायत में नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्तमान में कार्यरत हो या पूर्व में कार्यरत रहा हो ।
   (4) यात्रा से तात्पर्य- उन स्थान/स्थानों के समूह से हैं जो विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए ।
   (5) यात्री से तात्पर्य- उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत चयनित होकर यात्रा प्रारंभ करता है ।
   (6) आवेदक से तात्पर्य- उस व्यक्ति से है जो इस योजना के अंतर्गत यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है ।

(7) एजेन्सी से तात्पर्य- इण्डियन रेल्वे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड से है ।

(8) विभाग से तात्पर्य- खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से है ।

4. **यात्रा पर जाने के लिए पात्रता** :- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :-

(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो ।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को 11 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 17 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।

(3) यात्रा हेतु चयनित किशोर के माता/पिता/अभिभावक अथवा दोनों में से कोई एक भी चयनित हितग्राही के साथ यात्रा कर सकेंगे ।

(4) इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो ।

(5) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिक कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो ।

5. **निरर्हता** :-

(1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवदेन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा ।

(2) नियम 17 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा ।

(3) नियम 5 (1) एवं (2) के अंतर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा ।

(4) वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवक इस योजना के पात्र नहीं होंगे तथापि यात्रा की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु यदि इनकी सेवाएं ली जाती है तो वे यह यात्रा कर सकेंगे ।

6. **मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति** :-

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति" गठित कर सकेगी । यह समिति छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होगी ।

(2) उक्त समिति के साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे-

1. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	-अध्यक्ष
2. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा	-उपाध्यक्ष
3. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा	-उपाध्यक्ष
4. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास ।	-उपाध्यक्ष
5. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, पर्यटन	-उपाध्यक्ष
6. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास।	-उपाध्यक्ष
7. माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), छ.ग. शासन, खेल एवं युवा युवा कल्याण ।	-उपाध्यक्ष
8. माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग	-उपाध्यक्ष
9. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छ.ग. शासन, वित्त	-सदस्य
10. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छ.ग. शासन, गृह	-सदस्य
11. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा	-सदस्य
12. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा	-सदस्य
13. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास ।	-सदस्य

14. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास – सदस्य
15. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास – सदस्य
16. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – सदस्य
17. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छ0ग0 शासन, पर्यटन – सदस्य
18. सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छ0ग0 शासन, खेल एवं युवा कल्याण – सदस्यसचिव
19. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण – कोषाध्यक्ष
20. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकित व्यक्ति – सदस्य

उपरोक्त समिति में वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे।

7. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति के कर्त्तव्य :–

(1) समिति, निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी–
- (क) योजना का संचालन एवं मानिटरिंग।
- (ख) योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं को संचालित करने हेतु निर्णय लेना एवं उन्हें क्रियान्वित कराना।
- (ग) योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का नियंत्रण।
- (घ) अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं।

(2) समिति अपने कर्त्तव्योंकी पूर्ति के लिए समय–समय पर उप समितियां बना सकेंगी।

8. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति :–

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति गठन कर सकेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :– .

1.	जिले के प्रभारी माननीय मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर	–	उपाध्यक्ष
3.	जिला पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य
6.	जिले का सत्कार अधिकारी	–	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
8.	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	–	सदस्य
9.	महिला एवं बाल विकास अधिकारी	–	सदस्य
10.	खेल अधिकारी या जिले में पदस्थ उच्च स्तर का अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	–	सदस्य सचिव

(3) समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति को कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।आकस्मिकता होने पर सहायक संचालक/वरिष्ठ/जिला खेल अधिकारी, कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकेंगे।

9. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :–

(1) समिति,निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी–

(क) यात्रा के हितग्राहियों के नामों की अनुशंसा करेगी।

(ख) यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।

(ग) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।

(घ) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

(ङ) **हितग्राहियों** को जिले से यात्रा प्रारंभ स्थल तक पहुंचाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था।

(च) अन्य कार्य जो समय–समय पर, सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

10. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति की उपसमिति, विकासखण्ड स्तर पर :–

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों के चयन की अनुशंसा करने एवं यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखण्ड स्तर पर समिति का गठन कर सकेगी। यह समिति नियम 8 में उल्लेखित जिला स्तरीय समिति की उपसमिति के रूप में कार्य करेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे–

1.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	– अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	– सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	– सदस्य
4.	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	– सदस्य
5.	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	– सदस्य सचिव
6.	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना	– सदस्य

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।आकस्मिकता होने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुमोदन प्राप्त कर योजना के कियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकेंगे।

11. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना विकासखण्ड स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :–

(1) (क) विकासखण्ड स्तर पर आवेदन एकत्रित कर उसका परीक्षण उपरान्त पात्रता रखने वाले आवेदकों **एवं माता–पिता** के नामों की अनुशंसा, जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत आवेदकों एवं हितग्राहियों का अभिलेख संधारित करेगी।

(ग) अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं।

12. यात्रा स्थानों की सूची :–

यात्रा हेतु स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दी गई है। उक्त सूची में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थानों को सम्मिलित अथवा विलोपित किया जा सकेगा।

13. आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) आवेदन दो प्रतियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में संलग्न हैं।

(2) आवेदन के साथ आवेदक का **और उनके माता/पिता/अभिभावक (जो यात्रा में साथ जाना चाहते हों)** का 3.5cm×3.5cm साईज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में लगाना होगा।

(3) आवेदन के साथ आवेदक काजन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

(क) राशन कार्ड की प्रतिलिपि

(ख) विद्युक देयक की प्रतिलिपि

(ग) राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य

(घ) **माता/पिता/अभिभावक के** मतदाता परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस

(4) आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना वर्ष 20......... यात्रा के लिए आवेदन" अंकित किया जाए। रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य **प्रविष्टियां** जिनसे उनकी किसी आपात स्थिति में तुरंत सम्पर्क किया जा सके, का उल्लेख भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा।

(6) आवेदक को अपने जनपद अथवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

14. **चयन की प्रक्रिया** :- यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :-

(1) **यात्रा हेतु ज्ञापन प्रसारित कर विद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।**

(2) यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी।

(3) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

(4) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा।

(5) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, **अपने माता/पिता/अभिभावक के साथ** यात्रा पर जा सकेगा। इसके अतिरिक्त वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।

15. यात्रा की प्रक्रिया :-

(1) कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची संचालक द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी।

(2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह के यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी।

(3) यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय, विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जा सकेगा। शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय खेल एवं युवा कल्याण विभाग वहन करेगा।

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

16. **यात्रियों के समूह** :– यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी। उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयन होने मात्र से ही व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।

17. **अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध** :– केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, वह अपने माता/पिता/अभिभावक के साथ ही इस यात्रा पर जा सकेगा। इसके अतिरिक्तवह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा। ट्रेन व वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा।

18. **अतिरिक्त व्यय के संबंध में** :– यदि कोई, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

19. **यात्रा के दौरान अपेक्षाएं** :–

(1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।

(2) यात्री राज्य की सांस्कृतिक विरासत एवं मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छबि अन्यथा प्रभावित न हों।

(3) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।

(4) यात्री को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। यात्री का सामान गुमने, चोरी होने या अन्य किसी प्रकार से हानि होने पर आयोजक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

20. **यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां** :– यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

21. **योजना पर व्यय** :– योजना के कियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक), जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित हैं, करने के लिए आयुक्त/संचालक, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग है) सक्षम होंगे।

22. **यात्रा कोष** :– मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना हेतु बजट प्रावधानित राशि, मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति को अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस समिति के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि और निजी स्त्रोतों से प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी। बैंक खाते का संचालन मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति के माध्यम से होगा।
इस बैंक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग यात्रा व्यय के अतिरिक्त यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य अनुषांगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा।

23. **संचालक** :– योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जाएगी जो संयुक्त संचालक या उससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा, उसे आवश्यकतानुसार, वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।

24. **अन्य** :– उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है, के लिए सचिव, मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति अधिकृत होंगे।

25. **नियमों का निर्वचन** :– इन नियमों के किसी भी उप नियम या खण्ड की व्याख्या के लिए सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

26. **संशोधन/शिथिलन** :– विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, शिथिलन करने हेतु सक्षम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. बन्जारे, अपर सचिव.

परिशिष्ट-"अ"

मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना

भ्रमण हेतु स्थानों की सूची

1. इलाहाबाद, सारनाथ, बनारस
2. ग्वालियर, आगरा, फतेहपुरसीकरी
3. आगरा, दिल्ली, जयपुर, फतेहपुरसीकरी
4. दिल्ली, अमृतसर, जलियावाला बाग
5. मुम्बई, औरंगाबाद, अजंता एलोरा
6. चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माऊंट आबू
7. बैंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम
8. त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम्
9. सम्बलपुर, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी
10. कोलकाता, दार्जिलिंग, गंगटोक

केवल कार्यालयीन के उपयोग लिए
आवेदन पंजीयन क्रमांक..............दिनांक................

परिशिष्ट "ब"

पासपोर्ट साईज का फोटो स्व अभिप्रमाणित कर चस्पा करें।

छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना हेतु आवेदन
वर्ष...........

बालक ☐ बालिका ☐
(जो लागू हो सही (√) का निशान लगावें)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :- ....
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :- ....
2. माता का नाम पूरा पता :- ....
3. पिता का नाम पूरा पता :- ....
4. अभिभावक का नाम पूरा पता :- ....
5. जन्मतिथि (अंकों में) :- ....दिन.................माह.........................वर्ष
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. 01 अप्रैल वर्ष...............की स्थिति में आयु :- ....वर्ष.................माह.......................दिन
7. आवेदक का पूर्ण पता :- मकान नं...
   सड़क/गली नं...
   वार्ड/मोहल्ला...
   ग्राम/शहर/नगर ....
   विकासखण्ड ....
   जिला ....
   राज्य ....
   पिनकोड ....
   (निवास के साक्ष्य के लिए दस्तावेज संलग्न करें)
8. आवेदक का सम्पर्क :- दूरभाष एसटीडी कोड..................नं.......................
   मोबाईल नं...
   ई-मेल...
9. शैक्षणिक योग्यता :- ....
   ....
   ....
10. व्यवसाय :- ....
    (यदि विद्यार्थी हो तो कक्षा एवं शैक्षणिक संस्था का नाम भी लिखें)
11. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है? :- ......(हां/नहीं, जो लागू हो अंकित करें)
12. आवेदक के लिए टीशर्ट/जर्सी का साईज :-

M	L	XL	XXL	XXXL
38"	40"	42"	44"	46"

(जो साईज हो उसमें सही (√) का निशान लगावें)

13. क्या आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना के तहत पूर्व में यात्रा की है। (यदि हां तो स्थान एवं यात्रा का वर्ष भी लिखें) :- हां/नहीं..
स्थान..
यात्रा वर्ष..

14. क्या आवेदक एवं माता/पिता/अभिभावक रक्त/श्वास/हृदय/फेफड़े/किडनी/लीवर से संबंधित किसी संक्रामक रोग से संबंधित कोई उपचार वर्तमान में करवा रहा है। (यदि हां तो रोग से संबंधित विवरण लिखें) :- हां/ नहीं..

15. किशोर के साथ उनके माता/पिता/अभिभावक में से कौन यात्रा करेगा, उसका नाम एवं पता एवं मोबाईल नंबर। ....
....
....

16. क्या आवेदक राज्य के किसी शासकीय विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, परिषद्, विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय एवं पंचायत में नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं या पूर्व में कार्यरत रहा है। (यदि हां तो पूर्ण विवरण देंवे किस-किस कार्यालय में किस स्थान पर किस पद पर कब कार्यरत हैं/था।) :- हां/नहीं..
....
....
....

17. आवेदक द्वारा किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, पता एवं मोबाईल नं. जिनसे आवेदक की आपात स्थिति में होने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके। :-
(1) नाम ....
पता ....
....
मोबा.नं ....
(2) नाम ....
पता ....
....
मोबा.नं ....

//घोषणा पत्र//

मैं..पिता/पति..
पता..घोषणा करता/करती हूं कि :-

1. उपरोक्त विवरण में मेरे ज्ञान के आधार पर सही है।
2. मैंने मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना के नियम एवं निर्देश को पढ़/सुनकर समझ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
3. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
4. इस योजना के अंतर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की है।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल की तिथि में मैंने 11 वर्ष आयु पूर्ण कर ली है एवं 17 वर्ष आयु पूर्ण नहीं की है।

हस्ताक्षर,
आवेदक का नाम..............................
पता..

कार्यालयीन उपयोग हेतु

//पावती//

मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना वर्ष......................

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पिता/पति का नाम श्री...

पता..जिला....................................

का आवेदन पत्र, पंजीयन क्रमांक...दिनांक...............................को प्राप्त हुआ है।

हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता
पदमुद्रा/सील

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.